

प्रस्ताव की राज्य क्र०सं०—.....

भाग - II

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
(सम्बन्धित प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या)

क्र०सं०	प्रस्ताव	
7	परियोजना/स्कीम का स्थान	ओबरा सी- बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है उक्त पारेषण लाइन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निम्न बिन्दुओं पर अनुमति की आवश्यकता है :- 1-प्रस्तावित पारेषण लाइन का निर्माण से प्रभावित 46.778 हे० आरक्षित वनभूमि व 0.101 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 46.879 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। 2-प्रस्तावित पारेषण लाइन के निर्माण से कुल प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठ में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठों के पातन की अनुमति।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मीरजापुर
(iii)	वन प्रभाग	मीरजापुर वन प्रभाग
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	46.879 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	46.778 हे० आरक्षित वन भूमि (स्वामित्व वन विभाग) 0.101 हे० संरक्षित वन भूमि (स्वामित्व लोक निर्माण विभाग) कुल 46.879 हे० वन भूमि।
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2 (इको क्लास-III, खुला वन)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/ जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर० एल०, एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	परियोजना से प्रभावित कुल 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठ की प्रजातिवार/व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित प्रगणना सूची संलग्न है।
(viii)	भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता	यह भू-भाग भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र का भाग है।
(x)	क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाय)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।										
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	आरक्षित वन भूमि का उपयोग 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। उक्त पारेषण लाइन के निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।										
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं										
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा											
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवनत वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण से प्रभावित आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि 46.879 के बदले दुगुने अवनत वन भूमि $46.879 \times 2 = 93.758$ या 94.000 हे0 वन भूमि पर निम्न प्रकार से क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना प्रस्तावित है :- <table><tr><td>क0 सं0</td><td>रेंज का नाम</td><td>बीट का नाम</td><td>क0न0</td><td>अवनत वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0में)</td></tr><tr><td>1</td><td>मड़िहान</td><td>बेला</td><td>बेला क0न0-5 व 6</td><td>94.00</td></tr></table>	क0 सं0	रेंज का नाम	बीट का नाम	क0न0	अवनत वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	1	मड़िहान	बेला	बेला क0न0-5 व 6	94.00
क0 सं0	रेंज का नाम	बीट का नाम	क0न0	अवनत वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0में)								
1	मड़िहान	बेला	बेला क0न0-5 व 6	94.00								
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं का दर्शाता मैप।	संलग्न है।										
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	रोपित की जाने वाली मुख्य प्रजातियां-इमली, नीम, आम, जामुन, केसिया सेमिया, कठसागौन, बहेडा, आँवला, कंजी, चिलबिल, शीशम आदि।										
(iv)	प्रतिपूरक वनीकाण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	रु0 1,31,17,489.00 (एक करोड़, इकतीस लाख सत्तरह हजार चार सौ नवासी रुपये मात्र)										

(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 के पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	452200.00 हैं0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	104405.00 हैं0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र प्रभाग	57 मामले, 399.9295 हैं0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	860.60 हैं0
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	596.074 हैं0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर।	264.526 हैं0
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	500.736 हैं0
	(क) वन भूमि पर	242.57 हैं0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	258.166 हैं0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि की मांग न्यूनतम है तथा 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन परियोजना के निर्माण से वन व वन जीवों के सम्बर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 19-02-2020

स्थान : Mirzapur

हस्ताक्षर :
जिला वन संरक्षक

हस्ताक्षर :
जिला वन संरक्षक

हस्ताक्षर :
जिला वन संरक्षक

नाम :
सरकारी मोहर :

जिला वन संरक्षक